न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

पीठासीन अधिकारी :– राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 63/22 दायरा दिनांक 17.11.2022

1. मोहन पुत्र ग्यारसा उम्र 46 वर्ष जाति बलाई निवासी कछियाथाना तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी खोंकर तहसील व जिला गुना म.प्र.
2. गुड्डी पुत्री ग्यारसा पत्नि पप्पू उम्र 43 वर्ष जाति बलाई निवासी परसोल तहसील व जिला अशोकनगर म.प्र.

–वादी

बनाम

1. रामस्वरूप उर्फ पप्पू पुत्र ग्यारसा उम्र 44 वर्ष जाति बलाई निवासी कछियाथाना तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी खोंकर तहसील व जिला गुना म.प्र.
2. कपूरी पत्नि स्व.ग्यारसा उम्र 64 वर्ष जाति बलाई निवासी कछियाथाना हाल निवासी खोंकर तहसील व जिला गुना म.प्र.
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान राज.

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,90,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय–दिनांक 01.02.2023

उपस्थित– श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट – वादी
श्री विपिन बंसल एडवोकेट – प्रतिवादी कम 1 व 2
पेरोकार सरकार – प्रतिवादी कम 3

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कछियाथाना तहसील शाहावाद में आराजी खसरा संख्या 108 रकबा 1.07 बीघा, खसरा संख्या 553 रकबा 1.02 बीघा किता 2 कुल रकबा 2.09 बीघा स्थित है, जिसे दावे में आगे विवादित आराजी से संबोधित किया गया है। विवादित आराजी खसरा संख्या 108 रकबा 4.08 बीघा, खसरा संख्या 553 रकबा 4.05 बीघा सम्बत 2040 से पूर्व राजस्व रिकार्ड में माना, बाबू, ग्यारसा पुत्र जीना जाति बराई निवासी कछियाथाना के खाते में हिस्सा बराबर से दर्ज रही है, इन खातेदारों में से ग्यारसा की मृत्यु हो जाने से नामान्तरकरण नम्बर 145 से ग्यारसा के स्थान पर प्रतिवादी कम 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिये गये, जबकि वादीगण भी मृतक खातेदार ग्यारसा के सगे पुत्र पुत्री होने के कारण उन्हें भी प्रतिवादी कम 1 व 2 के समान हिस्सा मिलना चाहिये था, जबकि उक्त नामान्तरकरण में पटवारी रिपोर्ट में वादी कम 1 को ग्यारसा के पुत्र के रूप में दर्शाया गया है, इसके बाद भी वादी कम 1 के नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया, इस तरह नामान्तरकरण संख्या 145 हिन्दू उत्तराधिकार विधि के विपरीत तस्दीक किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:59:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

गया है, जो अवैध होकर वादीगण के प्रति प्रभावशून्य एवं वोइड है। आराजी खसरा संख्या 108 रकबा 4.08 बीघा, खसरा संख्या 553 रकबा 4.05 बीघा का सहखातेदारान के मध्य विभाजन हो चुका है और विवादित आराजी खसरा संख्या 108 रकबा 1.07 बीघा, खसरा संख्या 553 रकबा 1.02 बीघा किता 2 कुल रकबा 2.09 बीघा प्रतिवादी कम 1 व 2 के नाम दर्ज है, जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात को आज भी संयुक्त रूप से काश्त कर रहे हैं। विवादित आराजी में वादीगण मृतक खातेदार ग्यारसा के पुत्र पुत्री होने के नाते प्रतिवादीगण के समकक्ष हिस्सा प्राप्त करने के वैधानिक हकदार हैं और विवादित आराजीयात में हिस्सा 1/2 पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पा सकने के हकदार हैं। दिनांक 01.11.22 को प्रतिवादीगण को इस बावत कहा तो वह नहीं माने और आराजीयात को विकय करने की धमकी देने लगे, इस कारण वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना पड रहा है। अतः वादीगण को विवादित आराजीयात ग्राम कछियाथाना तहसील शाहावाद की आराजी खसरा संख्या 108 रकबा 1.07 बीघा, खसरा संख्या 553 रकबा 1.02 बीघा किता 2 कुल रकबा 2.09 बीघा के हिस्से 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जावे, आदि।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता इकबाली जबाव पेश कर दावे को स्वीकार करते हुये डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वादी की ओर से अपने दावे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी. डब्ल्यू 1 स्वयं वादी मोहन के बयान कराये और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम कछियाथाना सम्बत 2033–36 प्रदर्श–1, सम्बत 2037–40 प्रदर्श 2, नकल नामान्रकरण नम्गर 145 व 662 प्रदर्श 3 व 4, जमाबन्दी ग्राम कछियाथाना सम्बत 2074–77 प्रदर्श–5 तथा नकल नामान्तरकरण नम्बर 272 ग्राम कछियाथाना को प्रदर्श 6 के रूप में पेश किया। प्रतिवादी कम 1 व 2 की और से इकबाली जबाव पेश होने के कारण कोई तनकी कायम नहीं की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

वादी ने विवादित आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 108 रकबा 1.07 बीघा, खसरा संख्या 553 रकबा 1.02 बीघा किता 2 कुल रकबा 2.09 बीघा को सम्बत 2040 में खसरा संख्या 108 रकबा 4.08 बीघा, खसरा संख्या 553 रकबा 4. 05 बीघा होकर माना, बाबू, ग्यारसा पुत्र जीना जाति बराई निवासी कछियाथाना के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज हो[illegible] किया है, जो प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श 2 से साबित है। इ[illegible] नामान्तरकरण नम्बर 145 के जरिये प्रतिवादी क[illegible] 2 के हक [illegible] की गई है, जो जमाबंदी प्रदर्श 2 तथा नकल नामान्तरक[illegible] 3 [illegible] है। विवादित आराजी खसरा संख्या 108 रकबा 1.07 बीघा, खसरा संख्या 553 रकबा 1.02 बीघा किता 2 कुल रकबा 2.09 बीघा का विभाजन होना प्रदर्श 4 से भलिभांति साबित है। वादीगण ने स्वयं को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:59:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

खातेदार ग्यारसा के पुत्र पुत्री होना कथन करते हुये विवादित आराजी के हिस्सा 1/2 पर खातेदारी चाही है। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने वादीगण के इस कथन की पुष्टि की है कि वादीगण मृत खातेदार ग्यारसा के पुत्र पुत्री हैं, इस आधार पर वादीगण मृतक खातेदार ग्यारसा की विरासत में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के साथ समान हिस्सा पाने के वैध हकदार पाये जाते हैं।

अनुतोष

अतः उक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा संख्या 108 रकबा 1.07 बीघा, खसरा संख्या 553 रकबा 1.02 बीघा किता 2 कुल रकबा 2.09 बीघा ग्राम कछियाथाना तहसील शाहाबाद में वादीगण को हिस्सा 1/2 से खातेदार घोषित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के स्थान पर वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज किया जावे। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:59:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner